



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2()परावि/प्रशा.1/RRDS/संस्था/प्रतिनियुक्ति/2018/1620 जयपुर, दिनांक:-15-6-18

-: आदेश :-

श्री अजय कुमार आर्य, RRDS, हाल आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपनिदेशक (सुरक्षात्मक व्यवस्थापन) के पद पर पदस्थापित करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन सौंपी जाकर श्री आर्य को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्रस्तुत करेंगे:-

1. विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
2. विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. विभागीय नियुक्ति आदेश (जिसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है) में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(47)वित्त/ग्रुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय समय पर यथासंशोधित) में वर्णित शर्तों के अधीन रहेगी।
5. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
6. प्रतिनियुक्ति पर सेवायें लेने वाला विभाग इस सम्बन्ध में नियमानुसार अन्य विभागों यथा महालेखाकार इत्यादि को स्वयं के स्तर से सूचना प्रेषित करेंगे।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. श्री अजय कुमार आर्य, RRDS, हाल आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय को पालनार्थ।
10. निजी पत्रावली/आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)